

राष्ट्रीय लोके अदालत के समक्ष

स्थान का नाम :- व्यवहार न्यायालय बेतिया, पश्चिम चम्पारण ।

व्यवहार अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर

विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया (द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी रा.मा.

विरुद्ध

अभियुक्त/प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

संतोष माली उर्फ संतोष कुमार दिनांक 12/11/22

CIS No. 1416/22

वाद संख्या:- 3405/22

उपस्थित पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम:- श्री 02/ श्री HIK

गैर न्यायिक सदस्य का नाम-1. श्री 02/ श्री HIK

2.

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है प्रस्तुत मामले में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध शमनीय अभियोग/आरोप में संज्ञान ग्रहण किया गया है तथा सभी पीड़ितों ने सभी अभियुक्त/अभियुक्तगण के साथ वाद शमन करने के तथ्य का समर्थन किया एवं पक्षकारों ने विवाद/मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है अतएवं वाद धारा 320 द0 प्र0 स0 के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाता है ।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्याय शुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा ।

पीड़ित/वादी/परिवादी/याची

रा.मा. शा. 3405 रा.मा. कुमार

7903136089



अभियुक्त/प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/गण

संतोष माली उर्फ संतोष कुमार
9955541549

मुन्नातिवारी उर्फ मनोज कुमारतिवारी
8521190141

सदस्य

न्यायिक सदस्य

दिनांक:- 12/11/22

S. Ramesh Kumar
12/11/2022
सदस्य